संख्या-114/2018/2253जेएल/22-3-18-200(1)/2018टीसी

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दाऊद पुत्र श्री नफीस, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के गृह अवकाश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-110/2018/2159जेएल/22-3-18-200(1)/2018टीसी, दिनांक 31-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दाऊद पुत्र श्री नफीस, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर(बंदी संख्या-14785) द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त बंदी को पूर्व में स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-114/2018/2253जेएल(1)/22-3-18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 कारागार राज्य मंत्री, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in